

No. HQ/PIO/RTI/330/15

Date: 24.11.2015

श्री जोगेन्द्र सिंह,
एच.आई.जी.-2,
बर्सा-3, जनता नगर,
कानपुर-208027

Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref.: Your application dt. 06.10.2015, received in this office on 08.10.2015.

संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:-

1. किसानों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी की दर की संबंधित जानकारी इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
2. उपरोक्त धारक/मालिक को ध्वस्त संरचनाओं से संबंधित सामग्री निस्तारण करने का अधिकारी होगा।
3. प्रभावित पक्ष को पेड़ व फसलों के नुकसान के लिए नकद सहायता बाजार मूल्य पर दिया जायेगा। खड़ी फसलों के मामले में प्रभावित पक्ष को तीन महीने का अग्रिम सूचना निस्तारण के लिए दिया जायेगा। अन्यथा, इसके एवज में नगद मूल्य दिया जायेगा।
4. जून 2011 में निगूत Entitlement Matrix के अनुसार विधवा को 300 दिन की कृषि मजदूरी प्राप्त होगी (यदि भूमि का अधिग्रहण अर्वाड 01.01.2015 से पूर्व प्रकाशित हुआ हो।)

Copy to
24/11/15

Copy to : - GM/SEMU/EC

S.K. Panda

(S.K. Panda)
DGM/PIO



ED 88392193 9 IN

